

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 1254 / 2025

सुशीला जायसवास

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायत राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक कुम्हेर, जिला डीग।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2025
आदेश की दिनांक : 18.02.2025

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से :

समक्ष :- चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रयोगशाला सहायक के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भटावली, कुम्हेर, जिला डीग में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पीएचसी, भटावली, कुम्हेर भरतपुर से एसडीएच बायतू बालोतरा में किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.01.2025 (अनुलग्नक-2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया।
3. राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 02.10.2010 जारी कर पंचायती राज विभाग के अधीन हस्तान्तरित कर दिया गया। हस्तान्तरित कार्मिकों के क्रियाकलाप हेतु पंचायती राज क्रियाकलाप नियम 2011 बनाये गये। उक्त नियमों में नियम 8(3) में वर्णित किया गया है। हस्तान्तरित कार्मिकों का स्थानान्तरण एक जिले से

दूसरे जिले में मूल विभाग द्वारा पंचायती राज विभाग की पूर्व सहमति से किये जा सकते हैं। फिर भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला डीग से दूसरे जिला बालोतरा में 650 कि.मी. दूर किया गया है। जो विधि विरुद्ध है। अपीलार्थी डीग जिले में पदस्थापित है। अपीलार्थी का आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 द्वारा स्थानान्तरण पीएचसी, भटावली, कुम्हेर भरतपुर से एसडीएच बायतू बालोतरा में बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये जारी किया गया है।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट रंजू कुमारी गढ़वाल बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश, जिसके द्वारा पंचायती राज के नियम 2011 के नियम 8(3) का उल्लंघन में किया गया है, को उचित नहीं माना है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को निरन्तर प्रयोगशाला सहायक के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भटावली, कुम्हेर डीग में ही कार्य करने दिया जावे एवं वेतन भत्ते सहित समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावे।
5. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
6. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
7. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 1 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के

दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 1 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

8. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य